



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

माघ-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई०

माघ 24, 1922 शक समवत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

कृषि अनुभाग

संख्या 344 / कृषि / 2000-2001

देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प० आ०-०१६

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनाक से निम्नलिखित अधिकारियों को, जो उक्त अधिनियम के अधीन गठित कीटनाशी नियमावली, 1971 के पैरा 26 के अन्तर्गत निर्धारित अहता रखते हों, उस सम्बन्ध में, जिसमें ये अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हों, कीटनाशी नियुक्त करते हैं :

- 1-उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा/उप कृषि निदेशक (मुख्यालय)।
- 2-परियोजना अधिकारी (कृषि)।
- 3-जिला कृषि अधिकारी।
- 4-कृषि रक्षा अधिकारी।
- 5-जिला-उद्यान अधिकारी।
- 6-जिला गन्ना अधिकारी।
- 7-राहायक कृषि रक्षा अधिकारी।
- 8-वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक।

आज्ञा रे,

(डा० आर० एस० टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

वन एवं ग्राम्य विकास।